प्ररूप - 12

नियम 24 (2) देखिये

मोटर यानों के चालन में शिक्षण देने का कारोबार कारने की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में	,
	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
	अधोहस्ताक्षरी मोटर यान चालन में शिक्षण देने का कारोबार चलाने के लिए आवेदन करता है।
1.	आवेदक का पूरा नाम का पुत्र/की पुत्री/की पत्नी
	<u> </u>
4.	स्थान जहाँ आवेदक कारोबार प्रारंभ करना चाहता है
5.	1{ उपलब्ध सुविधाओं की प्रकृति और सीमा
6.	शिक्षण देने के लिए लगाए गए कर्मचारीवृन्द की अर्हताएँ
7.	1{ प्रशिक्षण प्रयोजनों को काम लिये जाने वाले इंजन का मेक और मॉडल
8.	जन यानों के रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे जिनका चालन शिक्षण देने में उपयोग किया जाता है
9.	 मैने रूपये की फीस का संदाय कर दिया है
	नारीख

आवेदक के हस्ताक्षर